घोषित किया जाकर वाद पत्र को डिकि किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 2 मंजू ने उक्त खातेय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे है एवं दावा वाले विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान का तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिकी निम्न प्रकार डिकी किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 शिवनारायण के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सिलारिया के खेत खसरा नम्बर 970/179 रकबा 4.8562 हैक्टेयर में से रकबा 3.2375 हैक्टेयर पूर्वि हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. वादी संख्या 2 मनोज जांगिड़ के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सिलारिया के खेत खसरा नम्बर 968/233 रकबा 4.8562 हैक्टेयर में से रकबा 3.2375 हैक्टेयर उत्तरी पूर्वी हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सिलारिया के खेत खसरा नम्बर 970/179 रकबा 4.8562 हैक्टेयर में से रकबा 1.6187 हैक्टेयर पश्चिमि हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर 968/233 रकबा 4.8562 हैक्टेयर में से रकबा 1.6187 हैक्टेयर पश्चिमि हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर 965/225 रकबा 0.3237 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 मंजू के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटी जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
5. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। सूचित हो।
6. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आव यक स्टाम्प भाुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 13.02.24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner